11

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद संख्या 133/2020

उनवान

लक्ष्मीनारायण वगै0 बनाम प्रभुराम वगै0

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी आवुसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. मनीष कुमार उर्फ कार्तिक आबूसरिया पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी आबुसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. सुमन स्त्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी आबूसर तहसील व जिला झुन्झुनू।

–वादीगण

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र पालाराम जाति कुम्हार निवासी आबुसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. ताराचन्द पुत्र पालाराम जाति कुम्हार निवासी आबुसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. सुभाष पुत्र पालाराम जाति कुम्हार निवासी आबुसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. बड़ौदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सीरियासर कला तह व जिला झुन्झुनू।
5. तहसीलदार झुन्झुनू।
6. कुलदीप पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी आबुसर तह व जिलाझुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितअधिवक्ताः–

1. श्री राजेश पूनिया :–वादीगण की ओर से।
2. श्री अजय कुमार :– प्रतिवादीगण की ओर से।

छावा बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

दिनांक : 24.05.2022

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम आबूसर तहत तहसील झुन्झुनू में जमीन हाल खसरा नम्बर 664 रकबा 0.07 है0 गैर मुमकिन रास्ता , खसरा नम्बर

853/663 रकबा 0.04 है0 स्थित है। उक्त जमीन में 1/2 हक हिस्सा वादी नम्बर 1 लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज है तथा शेष 1/2 हक हिस्सा वादीगण नम्बर 2 से 3 व प्रतिवादीगण नम्बर 6 के नाम दर्ज है। जमीन हाल खसरा नम्बर 852/663 रकबा 0.91 है0 सरहद ग्राम आबुसर में स्थित है। खसरा नम्बर 852/663 के खातेदार वादीगण नम्बर 2 से 3 तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 है। वादीगण नम्बर 2 से 3 की जमीन खसरा नम्बर 852/663 के पूर्व में हाल खसरा नम्बर 688 व 687 एवं 681 वाके ग्राम आबूसर की स्थित है। जमीन खसरा नम्बर 688 प्रतिवादी नम्बर 1 प्रभुराम के नाम दर्ज है तथा जमीन हाल खसरा नम्बर 687 प्रतिवादी नम्बर 2 ताराचन्द के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 681 प्रतिवादी नम्बर 3 सुभाष के नाम दर्ज है। प्रतिवादी गण नम्बर 1 से 3 की उपरोक्त खातेदारी की जमीन की पश्चिमी सीमा के पास खसरा नम्बर 681, 687, 688 मे से एक पुख्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता स्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 664 रकबा 0.07 है0 किस्म गैर मु0 रास्ता है। खसरा नम्बर 664 रकबा 0.07 है0 रास्ता की जमीन राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है। नक्शा सीट में उक्त कटानी रास्ता जमीन खसरा नम्बर 688, 687, 681 में से पश्चिमी सीमा के पास स्थित है। जबकि राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त रास्ता का खसरा नम्बर 664 डालकर वादीगण नम्बर 2 से 3 की 0.07 है0 जमीन उक्त रास्ता में शामिल कर दी। चुंकि उक्त रास्ता प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 की खातेदारी की जमीन में से है इस कारण उक्त रास्ता की जमीन प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 की जमीन में से कम होनी चाहिए थी तथा उक्त रास्ता के नम्बर भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थे। उक्त रास्ता नक्शासीट व मौके पर प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 की जमीन में से है तथा राजस्व कर्मचारियों ने गलती से वादीगण की जमीन में से कम करके जमाबंदी में उक्त रास्ता की जमीन वादीगण की खातेदारी में दर्शित कर दी। वादीगण द्वारा दावा पेश कर निवेदन किया किजमीनहाल खसरा नम्बर 664 रकबा 0.07 है0 की जमीन वादीगण नम्बर 2 से 3 व प्रतिवादी संख्या 6 की खातेदारी की जमीन हाल खसरा नम्बर 852/663 रकबा 0.91 है0 जमीन में शामिल कर जमीन हाल खसरा नम्बर 852/663 का रकबा 0.91 है0 की जगह 0.98 है0 राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 की जमीन हाल खसरा नम्बर 688 रकबा 1.33 है0 मे से 0.01 है0 जमीन कम करके रास्ता की जमीन खसरा नम्बर 664 में शामिल की जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 2 ताराचन्द की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 687 रकबा 1.32 है0 मेंसे 0.03 है0 जमीन रास्ता के खसरा नम्बर 664 में शामिल कर खसरा नम्बर 664 का रकबा 0.07 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे। जमीन हाल खसरानम्बर 664 रकबा 0.07 है0 जमीन वादीगण की खातेदारी की बजाय प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 की खातेदारी में रकबा के मुताबिक दर्ज किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 जमीन खसरा नम्बर 688 रकबा 1.32 है. व खसरा नम्बर 687 रकबा 1.29 है0, खसरा नम्बर 681 रकबा 1.30 है. राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

12

विवेचन

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। दिनांक 18.03.2021 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया जाकर वाद पत्र की धारा 11 क ख ग के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं पक्षकारानों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा ट्रेश, नक्शा किश्तवार, प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश करने से ही वाद डिक्री नहीं किया जा सकता, राजीनामा सिद्ध करने का दायित्व पक्षकारों का होता है। प्रस्तुत राजीनामा में वर्णित तथ्य साक्ष्यों के आधार साबित नहीं होते हैं। अतः वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर पूर्णतया सिद्ध नहीं होता है। अतः राजीनामा एवं वाद सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अत :

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा सिद्ध नहीं होने से खारिज किये जाने का निर्णय लिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू